

अनुस्मारक-॥
तत्काल
संसद संबंधी मामला

संख्या: एच-11012/10/2014-एनबीए

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एनबीए प्रभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 21-05-2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
मणिपुर, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।

विषय: बायो-शौचालयों का निर्माण।

महोदय,

कृपया "बायो-शौचालयों" के बारे में दिनांक 13-02-2014 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3665 के बारे में सूचना से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 28 फरवरी, 2014 के समसंख्यक पत्र तथा उसके बाद दिनांक 13-05-2014 के अनुस्मारक का संदर्भ लें। प्रश्न के भाग (ग), (घ) और (ङ) निम्न प्रकार थे:-

(ग) अभी तक देश में लक्षद्वीप सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मित शौचालयों की कुल संख्या

(घ) उन पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किया गया व्यय;

(ङ) सरकार द्वारा इन शौचालयों के रख-रखाव के किए गए उपाय और उनके लिए विकसित की गई अवसंरचना?

2. उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के संबंध में आपके राज्य से सूचना अभी तक प्रतीक्षित है। तदनुसार, अनुरोध है कि आश्वासन का उत्तर तैयार करने के लिए इस मंत्रालय को सूचना शीघ्र उपलब्ध कराएं।

भवदीय,

(सुजाँय मजूमदार)
निदेशक (एनबीए)

प्रतिलिपि:

राज्य समन्वयकर्ता, एनबीए उपर्युक्त उल्लिखित राज्य।

निदेशक (एनआईसी): अनुरोध है कि इस पत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दें।